राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/242-F/2020-KSP

टीसीआईएल लिमिटेड के साथ दिनांक 08.01.2021 की सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री राजीव गुप्ता, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल
3. श्री बी. के. पति, निदेशक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
4. श्री चू. रामा कृष्णा, जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर, टीसीआईएल
5. श्रीमती शिखा सिंह, जेजीएम(एचआर), टीसीआईएल
6. सुश्री मीनाक्षी, डीजीएम(एचआर), टीसीआईएल

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- टीसीआईएल कंपनी का गठन कब हुआ था?

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- वर्ष 1978 में गठन हुआ था।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः-टीसीआईएल में ओबीसी को रिजर्वेशन कब से मिलना शुरू हुआ है ?

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:-सर, वर्ष 2000 से मिल रहा है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आपके यहां रोस्टर बनता है या नहीं बनता है? प्रश्नावली में अनुमोदित रोस्टर मांगा गया था वह आयोग को क्यों नहीं भेजा गया ?

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- रोस्टर नियमित रूप से बनता रहा है, हम रोस्टर को आयोग को भिजवा देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- रोस्टर कब से बन रहा है?

जेजीएम(एचआर), टीसीआईएल:- वर्ष 2000 से बना रहे है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- सर, यह ऑर्गनाईजेशन छोटी है यहां पर ज्यादा स्टाफ नहीं है टोटल इसमें 800 के करीब हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव और नॉन

एग्जीक्यूटिव आधे-आधे हैं। पहले लोग अधिकतर DOT और डेप्युटेशन के लोग थे, इसी से काम चलता था।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:-</u> संचार मंत्रालय से अंतिम बार टीसीआईएल का रोस्टर रजिस्टर चेक करने के लिये लाईसन ऑफिसर कब आये थे ?

<u>जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर, टीसीआईएल:-</u> Myself joined recently sir.

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:-</u> When you have joined as Liaison Officer?

<u>जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर, टीसीआईएल:-</u> I joined as Liaison Officer (OBC), in March 2020.

<u>जेजीएम(एचआर), टीसीआईएल:-</u>सर, [illegible] जनवरी 2020 में हैदराबाद में रोस्टर डाटा DOT को submit किया गया था। अगस्त 2020 में भी रोस्टर डाटा भेजा गया था।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:-</u> रोस्टर रजिस्टर चेक करने संचार मंत्रालय से लाईसन ऑफिसर आये थे।

<u>जेजीएम(एचआर), टीसीआईएल:-</u> Sir, Last January, 2020, Parliamentary Committee meeting was held at Hyderabad. वहाँ पर डाटा जमा किया गया था।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:-</u>टीसीआईएल ने 2010 से 2020 तक का संचार मंत्रालय को जो आरक्षण संबंधी एनुअल रिटर्न भेजी है उसकी सर्टिफाइड कॉपी आयोग को उपलब्ध करायी जाए।

<u>अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल</u>:- जी सर, आयोग को मांगी हुई जानकारी भिजवा देंगे। पहले हम ओबीसी को वार्षिक रिपोर्ट में कवर नहीं करते थे लेकिन 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में ओबीसी का अलग से उल्लेख किया गया है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:-</u>आपके यहां जीजीएम के कितने पद हैं?

<u>जेजीएम(एचआर), टीसीआईएल:-</u> Sanction strength of GGM is 22. Presently working 17 as on date.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः-इसमें ओबीसी कितने हैं?

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- जीजीएम पद पर 1 ओबीसी है। जीएम पद पर 2 ओबीसी है। जेजीएम पद पर 4 ओबीसी है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने हैं?

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- टोटल 8 पोस्ट है 4 पोस्ट भरी हुई है और चार पोस्ट खाली है इसमें से कोई ओबीसी नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- प्रश्न संख्या 13 के उत्तर में शपथ-पत्र पर बताया गया है कि ओबीसी के उम्मीदवारों को प्री-प्रमोशनल व प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग नहीं दी जाती है तो क्या कारण है कि ओबीसी के उम्मीदवारों को प्री-प्रमोशनल व प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग नहीं दी जाती है?

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- सर, हमारा रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है। प्रमोशन मे सब लोगो को फिटनेस के हिसाब से प्रमोट किया जाता है। एक लेवल के प्रमोशन से पहले सभी उम्मीदवारों को ट्रेनिंग देते है। जिससे वह अपना उत्तरदायित्व बखूबी निभा सके।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- प्रश्न सं0 16 पर आपने जो 5 जनवरी को रिप्लाई किया है कि All contractual appointments are made as per the specific requirement of the project from the outsourcing agency और 11 अगस्त में रिप्लाई किया है कि all contractual appointment are made as per specific requirement of the project TCIL being a commercial organization, we do not have reservation in Contractual appointment, which one is correct?

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- हमारे यहां पर जितने भी पिछले 1 साल से नए कांट्रेक्चुअल अप्वाइंटमेंट हुए हैं वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा लिए गए हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- अगस्त में कांट्रेक्ट पर लेते थे?

जेजीएम(एचआर), टीसीआईएलः- जी सर।

शिल्पी 28/1/2021 Ch. Ramathn 25/1/2021 (3) सोनाक्षी

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- क्या यह सही है कि पिछले 4 वर्षों से ओबीसी के किसी भी कर्मचारी /ऑफिसर्स ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- सर, कोई भी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है हर कर्मचारी को मैनेजमेंट से मिलने का पूरा मौका देते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- प्रश्न सं. 18 (सी) के रिप्लाई में ओबीसी के चीफ लाईसन ऑफिसर की कैटेगरी बताने व सर्टिफिकेट लगाने के लिए कहा गया था वह क्यों नहीं लगाया गया?

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- सर इसे तुरंत भिजवा दिया जाएगा।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- रीजनल ऑफिस में ओबीसी का लाईसन ऑफिसर नियुक्त है या नहीं?

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- सर, Hyderabad regional office is small and staff is also less such no cell is made and HR is operating centrally at headquarter New Delhi.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ओबीसी का सेल टीसीआईएल में बनाया गया है?

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- नहीं सर, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण लाईसन ऑफिसर ही सब कार्य लेते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ओबीसी का सेल बना लीजिए।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- प्रश्न संख्या 19 में सभी रिक्रूटमेंट बोर्ड/ सिलेक्शन कमेटी/डीपीसी में सम्मिलित ओबीसी सदस्यों की जानकारी मांगी गई थी।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- सर, हर एक सिलेक्शन कमेटी में ओबीसी का रिप्रिजेंटेटिव जरूर होता है और एससी का भी रिप्रिजेंटेटिव होता हैं।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः-</u> आप ने शपथ-पत्र पर यह बताया है कि ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों का साक्षात्कार जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों से अलग किया जाता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह जानना चाहता है कि भारत सरकार या डीओपीटी या किसी मंत्रालय का कौन-सा आदेश है जिसमें यह कहा गया है कि ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग से किया जाएगा।

<u>अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल</u>:- सर, एससी/एसटी के लिए अलग से इंटरव्यू लिए जाने का आदेश है। उसी आधार पर ओबीसी का भी अलग से इंटरव्यू लिया जाता है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः-</u> आपने शपथ-पत्र में यह बताया है कि ओबीसी के चैप्टर को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाता था तो किस कारण से ओबीसी के चैप्टर को एनुअल रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाता था?

<u>अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल</u>:- ऐसा कोई विशिष्ट कारण नहीं है हम इस साल से 2020 की एनुअल रिपोर्ट में ओबीसी के बारे में उल्लेख कर रहे है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः-</u> टीसीआईएल की कुल कितनी सब्सिडियरी कंपनियां हैं जिसमें 51% या अधिक शेयर हो?

<u>अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल</u>:- TCIL Oman, TCIL USA, और टीबीटीआरएल, टीएलटीआरएल। टीटीएल एक कंपनी है जिसके अंदर हमारा शेयर 49% है लेकिन उसका मैनेजमेंट कंट्रोल टीसीआईएल के पास होने के कारण उसको सब्सिडरी माना जाता है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः-</u> 51% या अधिक शेयर वाली सब्सिडियरीज कंपनिया कौन-कौन सी हैं?

<u>अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल</u>:- TCIL Oman, TCIL USA, टीबीटीआरएल है, टीएलटीआरएल है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः-</u> जितनी भी सब्सिडरी कंपनियां हैं उनमें कितना शेयर है सबका चार्ट आयोग को भिजवा दीजिए।

<u>अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल</u>:- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- **Whether CMD, TCIL affirms that he has complied all the rules and regulations, code and conduct and Ethics, rules of reservation and he has not violated any provision made for drafting and finalization of Annual Report of TCIL and its subsidiaries? Please reply this on Affidavit.**

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- जहां तक हमारी जानकारी में है, We are following all rules, regulations, code, conduct & ethics.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- **Whether separate registers/ roster registers shall be maintained for appointments made by direct recruitment and promotion?**

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- Yes sir, only for direct recruitment.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- **Whether a common register / roster register shall be maintained for permanent appointments and temporary appointments likely to become permanent or to continue indefinitely.**

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- टीसीआईएल में अभी कोई टेंपरेरी एम्प्लॉय नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- **Whether a separate register / roster register shall be maintained for purely temporary appointments of 45 days or more but which have no chance whatever of becoming permanent or continuing indefinitely.**

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- ऐसा कोई केस नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- **Whether immediately after an appointment is made, the particulars of the person appointed shall be entered in the register / roster register in the appropriate columns and the entry signed by the appointing authority or by an officer authorized to do so.**

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- Yes sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- **Whether no gap shall be left in completing the register / roster register.**

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- Sir.

28/1/2021

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- Whether the register / roster register shall be maintained in the form of a running account year after year.

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- ऐसे ही कर रहे हैं सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- Whether in case of cadres where reservation is given by rotation, fresh cycle of roster shall be started after completion of all the points in the roster.

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- ऐसा कोई केस है नहीं सर

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- How many times group-wise post based roster register has been recasted between 08.09.1993 to 31.12.2018 by TCIL and its Subsidiaries.?

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- Whether after every recruitment year, an account shall be noted at the end of the last entry of the year in the reservation register indicating representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and details of backlog reserved vacancies etc.

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल:- सर, हम लोग इस जानकारी को आयोग को भिजवा देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- चीफ लाईसन ऑफिसर का क्या-क्या काम होता है?

जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर, टीसीआईएल:- The percentage of OBC candidates is maintained or not and people are there and got selected during recruitment, these two things have happened. No such grievance, I have received because people got promoted in a periodical way.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- आप ओबीसी एम्प्लाई से साथ मीटिंग करते है?

जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर, टीसीआईएल:- There is no such meeting.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- आपके यहां रोस्टर की री-कास्टिंग कितनी बार हुई है?

जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर, टीसीआईएल:- No idea.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- मंत्रालय से बात करके चीफ लाईसन ऑफिसर को ट्रेनिंग करायी जाये, ताकि ये ठीक से काम कर सके।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- सारी जानकारी आयोग को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दीजिये धन्यवाद।

सुनवाई सम्पन्न।

मीनाक्षी

(सुश्री मीनाक्षी)
डीजीएम(एचआर), टीसीआईएल

शिखा 25/1/2021.

(श्रीमती शिखा सिंह)
जेजीएम(एचआर), टीसीआईएल

Ch. Ramakrishna 25/1/2021

(श्री चू. रामकृष्णा)
जीएम एवं चीफ लाईसन ऑफिसर, टीसीआईएल

(श्री राजीव गुप्ता)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल

कौशलेन्द्र

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
भारत सरकार
मिसिल संख्या रा.पि.व.आ./08/01/242 /2019-KSP और रा.पि.व.आ/08/06/752/2021-RW/KSP
संचार मंत्रालय, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीबीएनएल और टीसीआईएल के मामले के संबंध में
दिनांक 06.10.2021 को हुई सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण :-

1. डॉ भगवान लाल सहनी, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री आनंद कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
4. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
5. श्री ए के तिवारी, सदस्य (टेक्नोलॉजी), संचार मंत्रालय
6. श्री सर्वेश सिंह, सीएमडी, बीबीएनएल
7. श्री संजीव कुमार, सीएमडी, टीसीआईएल
8. श्री अरविंद वाड़नेरकर, निदेशक (एचआर), बीएसएनएल एवं एमटीएनएल
9. श्री के बी गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक, बीबीएनएल
10. श्री एच के महाजन, वरिष्ठ उप महानिदेशक, संचार मंत्रालय
11. श्री संदीप केशकर, महाप्रबंधक (एचआर एवं विधि), एमटीएनएल
12. श्री एम के विमल, निदेशक (एसआर) एवं संपर्क अधिकारी, संचार मंत्रालय
13. श्री शंकर सचान, वरिष्ठ महाप्रबंधक, बीबीएनएल
14. श्री राहुल कुमार गोयल, कार्यकारी निदेशक(एचआर), टीसीआईएल
15. श्री एस एक नैन, महाप्रबंधक (सीएनपी), बीएसएनएल
16. सुश्री पायल सिंह, महाप्रबंधक (एचआर), टीसीआईएल

सुनवाई का विस्तृत विवरण:-

1. माननीय आयोग द्वारा मेंबर (टेक्नोलॉजी) संचार मंत्रालय से पूछा गया "whether Member Technology, Department of Telecommunication on behalf of Secretary, DoT affirms that he has complied all the reservation rules and regulations, code of conduct & Ethics rules of reservation and he has not violated any provision made for drafting and finalisation of Annual Report of Department /PSUs/Subsidries" यह जवाब आयोग को शपथ पत्र पर उपलब्ध कराएं। इस संबंध में मेंबर (टेक्नोलॉजी) संचार मंत्रालय द्वारा बताया गया कि मेंबर सर्विस का डोमेन है। इस संबंध में संपर्क अधिकारी संचार मंत्रालय द्वारा बताया गया कि हम नियमों का पालन करते हैं।

मनीष विमल

2. माननीय आयोग द्वारा संचार मंत्रालय के ओबीसी के संपर्क अधिकारी से ओबीसी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए कहा गया इस संबंध में संपर्क अधिकारी संचार मंत्रालय द्वारा बताया गया कि उनके पास ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं है और वह पिछड़े वर्ग में नहीं आते हैं। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या संचार मंत्रालय में एक भी अन्य पिछड़े वर्ग का अधिकारी नहीं है जिसे संपर्क अधिकारी बनाया जा सके। इस संबंध में मेंबर टेक्नोलॉजी, संचार मंत्रालय द्वारा बताया गया कि एक संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है और एक संपर्क अधिकारी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और इसका हम पालन भी कर रहे हैं और इस संबंध में वरिष्ठ उप महानिदेशक, संचार मंत्रालय द्वारा बताया गया कि डीओपीटी के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है कि संपर्क अधिकारी अन्य पिछड़ा वर्ग से ही होना चाहिए। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि आप यह जवाब शपथ पत्र उपलब्ध कराएं कि आप डीओपीटी के पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित सारे नियमों का पालन करते हैं। इस संबंध में वरिष्ठ उप महानिदेशक, संचार मंत्रालय द्वारा बताया गया कि संचार मंत्रालय में 6 यूनिट हैं और हर यूनिट में सब अपना नियम का पालन करते हैं। इस संबंध में मेंबर (टेक्नोलॉजी), संचार मंत्रालय द्वारा बताया गया कि सभी 6 यूनिट में अलग-अलग संपर्क अधिकारी होते हैं। इस संबंध में आयोग द्वारा यह जवाब शपथ पत्र पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
3. माननीय आयोग द्वारा संचार मंत्रालय से डीओपीटी के नियम को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया जिसमें कहा गया है कि पिछड़े वर्ग का संपर्क अधिकारी पिछड़े वर्ग का होना जरूरी नहीं है और संचार मंत्रालय की गार्ड फाइल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
4. माननीय आयोग द्वारा संचार मंत्रालय से वर्ष 1997 से अभी तक पिछड़े वर्ग के निदेशक व उपसचिव की सूची आयोग में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
5. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि संचार मंत्रालय में सिलेक्शन कमेटी में ओबीसी का सदस्य होता है या नहीं होता है और ऐसा कोई नियम है। इस संबंध में वरिष्ठ उप महानिदेशक, संचार मंत्रालय द्वारा बताया गया कि यह जानकारी अभी नहीं दे सकते हैं माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि अगर आप कोई भी नियम के बारे में जानकारी रखते हैं तो उसी के बारे में बता दीजिए इस संबंध में मेंबर (टेक्नोलॉजी),

संचार मंत्रालय द्वारा बताया गया कि वह सचिव, संचार मंत्रालय से बात करके सभी जानकारी आयोग में उपलब्ध करवा देंगे।

6. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि वर्ष 1993 से वर्ष 2021 तक संचार मंत्रालय के संपर्क अधिकारी कितनी बार रिजर्वेशन रोस्टर चेक करने सीपीएसयू गए हैं। इस संबंध में संपर्क अधिकारी, संचार मंत्रालय द्वारा बताया गया कि मैं वर्ष 2018 से संपर्क अधिकारी के पद पर हूं इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि वर्ष 2018 से अभी तक आप बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीबीएनएल और टीसीआईएल में कितनी बार रिजर्वेशन रोस्टर चेक करने के लिए गए हैं। इस संबंध में संपर्क अधिकारी संचार मंत्रालय द्वारा बताया गया कि वह बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल में एक बार भी रिजर्वेशन रोस्टर चेक करने नहीं गए हैं और वर्ष 2021 में टीसीआईएल में रिजर्वेशन रोस्टर चेक करने के लिए गए हैं।
7. माननीय आयोग द्वारा संचार मंत्रालय से डीओपीटी का नियम उपलब्ध कराने के लिए कहा गया कि किस नियम के तहत मंत्रालय ने सीपीएसयू के रोस्टर रजिस्टर का इंस्पेक्शन नहीं किया है यह जवाब आयोग को शपथ पत्र पर उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में वरिष्ठ उप महानिदेशक, संचार मंत्रालय द्वारा अवगत कराया गया कि संपर्क अधिकारी का पहला कार्य यही है कि वह सीपीएसयू जाकर इंस्पेक्शन करें। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि डीओपीटी के उस नियम के बारे में भी जानकारी दे दीजिए, जिसमें कहा गया है कि मंत्रालय द्वारा सीपीएसयू का इंस्पेक्शन किया जाता है और इसमें क्या क्या कमियां होती हैं। इस संबंध में संपर्क अधिकारी संचार मंत्रालय द्वारा बताया गया कि अगर कोई कमियां होती है तो वह संचार मंत्रालय के सचिव को बताया जाता है।
8. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि संपर्क अधिकारी द्वारा ड्यूटी का अनुपालन नहीं किया गया है तो इस पर क्या कार्यवाही की जाएगी।
9. माननीय आयोग द्वारा बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीबीएनएल और टीसीआईएल से पूछा गया कि आप सब एनुअल रिपोर्ट संचार मंत्रालय को भेजते होंगे। इस संबंध में बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीबीएनएल और टीसीआईएल द्वारा बताया गया कि उनकी एनुअल रिपोर्ट संचार मंत्रालय जाती है। इस संबंध में मेंबर टेक्नोलॉजी संचार मंत्रालय द्वारा पूछा गया कि किस सेक्शन में एनुअल रिपोर्ट जाती है। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि मेंबर (टेक्नोलॉजी) जो सचिव संचार मंत्रालय

पैरा (6) मे अंडरलाइन वक्तव्य मे संशोधित करने का अनुरोध है— जो कि इसतरह है— "वर्ष 2021 मे संचार मंत्रालय द्वारा टीसीआईएल के रिजर्वेशन रोस्टर को चेक नहीं किया गया है।"

मनीष बिजला

को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें यह जानकारी भी नहीं है कि एनुअल रिपोर्ट किस सेक्शन में जाती है।

10. माननीय आयोग द्वारा संचार मंत्रालय से पूछा गया कि संचार मंत्रालय के संपर्क अधिकारी द्वारा रोस्टर रजिस्टर का निरीक्षण क्यों नहीं किया गया। इसका कारण 48 घंटों के अंदर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराया जाए। संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी पीएसयू द्वारा वर्ष 1993 से वर्ष 2021 तक संचार मंत्रालय को आरक्षण संबंधित एनुअल रिटर्न भेजी गई है उसकी सत्यापित कॉपी आयोग में उपलब्ध कराई जाए।
11. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि संचार मंत्रालय में कुल कितने आईटीएस अधिकारी हैं और उन सब का रिजर्वेशन रोस्टर कहां पर है। इस संबंध में मेंबर टेक्नोलॉजी द्वारा बताया गया कि करीब 1200 से अधिक आईटीएस अधिकारी हैं। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आईटीएस अधिकारियों की कुल कितनी सैंक्शन पोस्ट है कितने अपॉइंटेड हैं और उसमें ओबीसी का कितना प्रतिशत है और इसका रिजर्वेशन रोस्टर आयोग में प्रस्तुत किया जाए।
12. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि संचार मंत्रालय के कुल कितने अधिकारी या कर्मचारी लोन बेसिस पर दूसरे मंत्रालय में कार्यरत हैं उस में कितने ओबीसी हैं। उसकी सूची आयोग को उपलब्ध कराई जाए।
13. माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि एमटीएनएल द्वारा जानकारी दी गई है कि वह ओबीसी के उम्मीदवारों का अलग से साक्षात्कार करते हैं और रोस्टर रजिस्टर के बारे में उन्हे कोई जानकारी नहीं है और वर्ष 2003 से पहले का रोस्टर रजिस्टर नहीं दिया गया और डीपीसी में ओबीसी के सदस्य की जानकारी नहीं है। इस संबंध में निदेशक एमटीएनएल द्वारा बताया गया कि डीपीसी में ओबीसी के सदस्य नहीं होते हैं और रिक्रूटमेंट में 10 से ज्यादा लोगों की भर्ती नहीं हुई है। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एमटीएनएल में अभी तक 10 से ज्यादा लोगों की भर्ती का कोई विज्ञापन नहीं है। इस संबंध में निदेशक, एमटीएनएल द्वारा बताया गया कि उसके लिए लिखित परीक्षा होती है इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि साक्षात्कार में ओबीसी के सदस्य होते हैं। इस संबंध में निदेशक एमटीएनएल द्वारा बताया गया कि उन्हें इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है।
14. माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि एमटीएनएल के अधिकारी श्री सुनील कुमार जी द्वारा शपथ पत्र पर यह जवाब दिया गया है कि एमटीएनएल में रोस्टर रीकास्टिंग

मनीष विमल

नहीं होती है और ना ही ईडब्ल्यूएस को आरक्षण आने के बाद रोस्टर रिकास्ट किया गया है और यह भी शपथ पत्र पर जवाब दिया गया है कि श्री सुनील कुमार को रोस्टर रीकास्टिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में निदेशक एमटीएनएल द्वारा कहा गया कि वह इन सब की जिम्मेदारी लेते हैं।

उपरोक्त सभी अपेक्षित जानकारी आयोग को 01 सप्ताह में उपलब्ध करायी जाएं।

(श्री एम के विमल)
निदेशक (एसआर) एवं संपर्क अधिकारी, (ओबीसी)
संचार मंत्रालय

(श्री अरविंद वाड़नेरकर)
निदेशक (एचआर),
बीएसएनएल एवं एमटीएनएल

(श्री एच के महाजन)
वरिष्ठ उप महानिदेशक,
संचार मंत्रालय

(श्री सर्वेश सिंह)
सीएमडी,
बीबीएनएल

(श्री संजीव कुमार)
सीएमडी,
टीसीआईएल

(श्री ए के तिवारी)
सदस्य (टेक्नोलॉजी),
संचार मंत्रालय

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(डॉ भगवान लाल सहनी)
माननीय अध्यक्ष,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

शुद्धिपत्र

पैरा 6 में - बैठक में, कुछ चूक के कारण, एमटीएनएल के स्थान पर टीसीआईएल का उल्लेख किया गया था, जिसका अधोहस्ताक्षरी को खेद है ।

मनीष विमल

(मनीष कुमार विमल)
निदेशक (एस.आर.) और संपर्क
अधिकारी (ओ.बी.सी.), दूरसंचार विभाग